भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 316

05.02.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों के हमलों के लिए मुआवजा

316. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में वन्य जीवों के हमले बढ़ रहे हैं जिसके कारण अनेक लोगों की जान जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस चिंताजनक मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने मानव-पशु संघर्ष के मुद्दे के समाधान हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) सरकार द्वारा वन्य जीवों के हमले के शिकार परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में जंगली जानवरों के हमलों में घायल हुए अथवा मारे गए लोगों और सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का उक्त राज्य सरकार के वित्तीय अंशदान में वृद्धि करने का विचार है ताकि जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों के मामले में मुआवजा बढ़ाकर पंद्रह लाख किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) केरल राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से वन्य जीवों के हमले की घटनाएं संसूचित की गई हैं। सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करने वाले संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

ii. केंद्रीय सरकार, देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के तहत समर्थित कार्यकलापों में खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैव-बाड़ लगाना, सीमा पर दीवारें जैसी भौतिक बाड़ों का सृजन/निर्माण आदि शामिल हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2021 में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के संबंध में एक परामर्शिका जारी की गई है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष के प्रमुख स्थानों (हॉट स्पॉटों) की पहचान, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन, त्वरित कार्रवाई दलों के गठन, अनुग्रह राहत राशि की प्रमात्रा की समीक्षा के लिए राज्य एंव जिला स्तरीय समितियों के गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/अनुदेश जारी करने तथा लोगों के मारे जाने और घायल होने के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि के उचित हिस्से के लिए यथेष्ठ निधियों का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों के नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को प्रबंधित करने के संबंध में दिनांक 03 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें वन सीमांत क्षेत्रों में ऐसी फसलों को बढ़ावा देने, जो जंगली जानवरों के खाने योग्य न हों, कृषि वानिकी मॉडल, जिनमें वृक्ष/झाड़ी प्रभेदों के साथ उचित रूप से मिश्रित मिर्च, लेमन ग्रास, खस ग्रास आदि जैसी नगदी फसलें शामिल हैं, को शामिल किया गया है। इनमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु व्यापक दीर्घकालिक योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना भी शामिल है।

v. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक कार्यकलापों का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने केरल राज्य को मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों सहित वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा और उनके पर्यावास में सुधार हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। गत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत केरल को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अपने मानदंडों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करते हैं। वन्य पशुओं द्वारा किए गए हमलों के कारण घायल हुए या मृत व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(च) और (छ) इस मंत्रालय ने हाल ही में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले में भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। अनुग्रह राशि के तहत दी जाने वाली राहत की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	**वन्य पशुओं द्वारा की गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
(क)	मानव-मृत्यु या स्थायी अशक्तता	10 लाख रुपए
(ख)	गंभीर चोट	2 लाख रुपए
(ग)	मामूली चोट	25000/- रुपये तक की इलाज की लागत
(घ)	संपत्ति/फसल की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, उनके द्वारा निर्धारित लागत संबंधी मानदंडों का पालन कर सकते हैं।

****